

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

आधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 184] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 9, 1973/श्रावण 18, 1895

No. 184] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 9, 1973/SRAVANA 18, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

RESOLUTION

New Delhi, the 9th August 1973

SUBJECT.—*Committee of Review of Rehabilitation Work in West Bengal.*

No. 1(4)/72-COR.—The Government of India have decided to appoint Sardar Amjad Ali, M.P., as a Member of the Committee of Review of Rehabilitation Work in West Bengal in place of Shri P. K. Mukherjee, M.P., whose resignation from the membership of the Committee was accepted, vide Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Rehabilitation) Resolution No 1(4)/72-COR, dated the 26th March. 1973.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to:—

1. All Members of the Committee.
 2. All Ministries/Departments of the Government of India.
 3. The Planning Commission, the Prime Minister's Secretariat, the Cabinet Secretariat and the Private and Military Secretaries to the President.
 4. The Chief Secretaries to the State Governments/Union Territories.
- Ordered also that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. VOHRA, Secy.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली 9 अगस्त, 1973

विषय.—पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य की समीक्षा समिति ।

सं० 1(4)/72-स० स०.—भारत सरकार ने श्री पी० के० मुकर्जी, संसद सदस्य, जिनका समिति की सदस्यता से त्यागपत्र श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) के संकल्प संख्या 1(4)/72-स० स० दिनांक 26 मार्च, 1973 द्वारा मंजूर किया गया था, के स्थान पर सरदार अमजद अली, संसद सदस्य को पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य की समीक्षा समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त करने का निश्चय किया है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतियां निम्नलिखित को भेज दी जायें :—

1. समिति के सदस्य
2. भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग
3. योजना आयोग, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रीमंडल सचिवालय और राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सचिव
4. राज्य सरकारों/संव शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दी जाय ।

महदेव वोहरा, सचिव ।